W

③

राजस्व अनुवृत्ति पत्र

रा0मा0क0 202504090700045अ–62वर्ष 2024–25

(1)	(2)	(3)
16/4/2025	प्रकरण पेश । प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण में आवेदक श्री परमानंद साहू आ0 बालाराम साहू निवासी ग्राम धीरी तहसील व जिला राजनांदगांव द्वारा स्वयं के नाम पर ग्राम धीरी प0ह0नं0 65 तहसील व जिला राजनांदगांव स्थित भूमि ख.नं.464 रकबा 0.3240 हे0 में स्थित 32 नग सागौन प्रजाति के वृक्ष जो कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, वृक्ष की छाया से फसल का उत्पादन नहीं होता । उक्त 32 नग सागौन वृक्ष को काटे जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन के परिपेक्ष्य में राजस्व विभाग एवं वन विभाग से संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया । राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन/पंचनामा अनुसार में आवेदित भूमि से लगा ख0नं0 467 नाला मद में दर्ज है आवेदित वृक्ष नाले से 20 मीटर के अंदर स्थित है । 20 मीटर के अंदर सागौन वृक्ष स्थित होने से कटाई हेतु अनुमति नहीं दिया जा सकता लेख किया गया है । छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर के अधिसूचना कं. /एफ 4–34/सात–1 /2021 अधिसूचना दिनांक 11/02/2022 ''वृक्ष कटाई के नियम 2022''की कंडिका 2(क) अनुसार ''किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 20 मीटर के अंदर'' वृक्ष न तो काटा जायेगा न गिराया जायेगा न उसका तना छीलकर घेरा जायेगा एवं न हीं उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जावेगा । आवेदित वृक्ष नाले से 20 मीटर के अंदर स्थित है । ऐसी स्थिति में आवेदक को वृक्ष कटाई नियम 2022 के नियम 2 (क) में दर्शित प्रावधानों के तहत आवेदित वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दिया जा सकता । प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है । अभिलेखागार दाखिल किया जावे । (खेम लाल वर्मा) अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव (छ0ग0)	

अनुविभागीय अधिकारी
राजनांदगांव (छ.ग.)